<u>न्यायालयः</u> आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला–अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण कं-162/2017</u> संस्थित दिनांक-16.05.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	अभियोजन
विरूद्ध	
रामदास पुत्र जानकी प्रसाद उर्फ जनक	कुशवाह
उम्र 29 साल निवासी पंचमढी मोहल्ला	
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र०	अभियक्त

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 27.04.2018 को घोषित)</u>

- 01:—अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 506बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 07.04.2017 को समय 21:00 बजे से 21:05 बजे स्थान बायपास रोड मेला ग्राउण्ड के पास, लोक स्थान पर फरियादी राजेन्द्र को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी राजेन्द्र की लातघूंसों से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की व उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया।
- 02:—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राजेंद्र रात करीबन 09:00 बजे दिनांक—07.04.217 को देवेन्द्र यादव के साथ मेला देखने गया था, तो राजेन्द्र बायपास रोड पहुंचा, तो रामदास कुशवाह मिला और राजेंद्र को मां—बहन की गालियां देने लगा और राजेन्द्र से बोला कि तेरी पत्नी को रखूंगा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएंगा, तब राजेन्द्र ने गाली देने से मना किया, तो रामदास ने राजेंद्र की लातघूसों से मारपीट की, जिससे पीठ और कमर में मुंदी चोट आई। घटना में वीरेन्द्र और देवेन्द्र ने बीच बचाव किया तब रामदास बोला कि मादरचोद अगर रिपोर्ट करने गया, तो तुझे जान से मार दूंगा। फरियादी राजेन्द्र द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी

की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—148/2017 अंतर्गत धारा—323, 294, 506 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03:—अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द०प्र०सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फंसाया गया है।

04:-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 07.04.2017 को समय 21:00 बजे से 21:05 बजे स्थान बायपास रोड मेला ग्राउण्ड के पास फरियादी राजेन्द्र को लातघूंसों से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व लोक स्थान पर फरियादी राजेन्द्र को मां—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- उ. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राजेन्द्र जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्राष कारित किया ?
- 4. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 05:— अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में स्वयं फरियादी राजेंद्र सिंह (अ0सा0—1) सिंहत वीरेन्द्र सिंह (अ0सा0—2) व देवेन्द्र (अ0सा0—3) के कथन न्यायालय में कराये गये है। फरियादी राजेंद्र सिंह (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि घटना वर्ष 2017 की, अप्रैल माह की है, उस समय मेला चल रहा था, रात्रि 09:00 बजे वह वीरेन्द्र और देवेन्द्र के साथ पैदल मेला देखने के लिये जब जा रहा था और ईदगाह के सामने से बाय पास से जब वह नीचे उतर रहे थे, तो उन्हें अभियुक्त मिला और वो उसे मॉ—बहन की गालियां देने लगा। राजेन्द्र सिंह (अ0सा0—1) के अनुसार अभियुक्त यह कह रहा था कि ''तेरी पत्नी को मै ही रखूंगा'' तथा इसके बाद अभियुक्त ने उसकी लातघूसों से मारपीट की, जिससे उसकी सीने और पैर में चोट आई।
- 06:—फरियादी राजेन्द्र (अ0सा0—1) का कहना है कि मौके पर बीच—बचाव वीरेन्द्र सिंह (अ0सा0—2) व स्वयं उसके भाई देवेन्द्र (अ0सा0—3) ने किया था, जो कि घटना के समय उसके साथ थे। फरियादी राजेन्द्र (अ0सा0—1) के द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये

उपरोक्त कथन उनके प्रतिपरीक्षण में भी अखिण्डित रहे है, जिनमें कोई तात्विक विरोधाभास की स्थिति नहीं हैं तथा फरियादी राजेन्द्र (अ०सा०—1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि उसके द्वारा प्रकरण में दर्ज कराई गई रिपोर्ट प्रदर्श पी—01 से भी होती है, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।

- 07:—फरियादी राजेन्द्र सिंह (अ0सा0—1) के द्वारा न्यायालय में बताई गई घटना की पुष्टि स्वयं वीरेन्द्र (अ0सा0—2) एवं देवेन्द्र (अ0सा0—3) ने अपने न्यायालीन कथनों में की है, जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के समय फरियादी राजेन्द्र सिंह (अ0सा0—1) के साथ थे। वीरेन्द्र सिंह (अ0सा0—2) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का समर्थन में फरियादी के कथनों की पुष्टि करते हुये व्यक्त किया है कि घटना मेले की समय की है। वह फरियादी राजेन्द्र (अ0सा0—1) व देवेन्द्र (अ0सा0—3) के साथ था, तो रात्रि 10:00—11:00 बजे मेले के अन्दर अभियुक्त मिला और उसने फरियादी राजेंद्र (अ0सा0—1) को धमकी दी और दोनों में बहस और मारपीट हो गई।
- 08:— वीरेन्द्र सिंह (अ0सा0—2) ने भी अभियोजन घटना का समर्थन करते हुये घटना स्थल के संबंध में फरियादी के कथनों की पुष्टि की है तथा इस साक्षी का कहना है कि घटना बाय पास से उतरकर मेला ग्राउण्ड में हुई थी तथा घटना के समय व राजेन्द्र सिंह और देवेन्द्र के साथ राजेन्द्र के घर पर खाना जा रहा था तथा इस साक्षी का यह स्पष्ट कहना है कि राजेन्द्र का घर मेले में ही है, इसलिए वह तीनों लोग मेला देखने जा रहे थे, यह बात सही है।
- 09:— वीरेंद्र सिंह (अ०सा0—2) ने न्यायालीन कथनों में घटना पांच—छः महीने पहले की एवं रात्रि 10:00—11:00 बजे की होना बताई है तथा प्रतिपरीक्षण में वह 11:30 बजे मेले में पहुचना बताता है, जबिक अभियोजन घटना वर्ष 2017 के अप्रैल माह के रात्रि 09:00 की है। अतः घटना के निश्चित समय व माह को लेकर वीरेन्द्र सिंह (अ०सा0—2) के कथनों में विरोधाभास देखा जा सकता है, परन्तु उक्त विरोधाभास उसकी संपूर्ण साक्ष्य को नकारने के लिये तात्विक स्वरूप का नहीं है, क्योंकि वीरेन्द्र सिंह (अ०सा0—2) के अनुसार भी घ ाटना मेले के समय की है, जो कि एक निश्चित समय में लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में एवं जो व्यक्ति अधिक पढ़ा लिखा नही है, उसके लिये निश्चित रूप से घड़ी के अनुसार घ ाटना का निश्चित समय बता पाना संभव नहीं होता है, वह अनुमान के आधार पर ही समय बता सकता है।
- 10:— वीरेन्द्र सिंह (अ0सा0—2) ने फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये इस संबंध में अखिण्डित साक्ष्य दी है कि घटना मेले के समय की है और रात्रि के समय की है और उस समय वह और देवेन्द्र फरियादी के साथ मेला देखने के लिये बायपास से उतरकर मेले की ओर जा रहे थे, तो अभियुक्त उन्हें बायपास से उतरते ही मिल गया था। वीरेन्द्र सिंह (अ0सा0—2) ने इस बात पर भी अभियोजन घटना का समर्थन करते हुये फरियादी के कथनों की पुष्टि की है कि रामदास बायपास से आ रहा था तथा उसने मौके पर विवाद केवल राजेन्द्र सिंह (अ0सा0—1) के साथ किया था, जिसका कारण राजेन्द्र की पत्नी को लेकर था।
- 11:— देवेन्द्र (अ0सा0—3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का पूरी तरह से समर्थन

करते हुये फरियादी राजेन्द्र सिंह (अ०सा०—1) व वीरेन्द्र सिंह (अ०सा०—2) के द्वारा घटना के संबंध में न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि करते हुये यह स्पष्ट किया है कि घटना पिछले वर्ष मेले की है उस समय वह राजेन्द्र और वीरेन्द्र के साथ और रात्रि 09:00 बजे जब मेला घूमने जा रहा था, तो रामदास उन्हें मेले के पास मिला था और उसने आते ही राजेन्द्र सिंह (अ०सा०—1) के साथ लातघूसों से मारपीट की थी। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्पष्ट किया है कि घटना रात्रि 09:00 की हैं, उस समय आरोपी अकेला था और वह तीन लोग थे तथा आरोपी को कोई हथियार नहीं लिये था। इस साक्षी के अनुसार आरोपी आया और धमकी देकर और मारपीट करके चला गया था, जिसमें उसने बीच बचाव किया था।

- 12:— अतः फरियादी राजेन्द्र सिंह (अ०सा०—1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन कि वर्ष 2017 में अप्रैल माह में मेले के समय रात्रि 09:00 बजे जब वह बायपास से उतरकर अपने भाई देवेन्द्र (अ०सा०—3) व अपने जीजा वीरेंद्र सिंह (अ०सा०—2) के साथ मेला देखने जा रहा था, तो वहां पर रामदास उन्हें मिला था और रामदास ने आते ही फरियादी की पत्नी के विवाद पर से उसके साथ झगडा किया, और उसके साथ मारपीट की और धमकी देकर चला गया था, कि पुष्टि उसके द्वारा प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट सिंहत साक्षी वीरेंद्र सिंह (अ०सा०—2) व देवेन्द्र (अ०सा०—3) के कथनों से होती है तथा फरियादी सिंहत वीरेंद्र सिंह (अ०सा०—2) व देवेन्द्र (अ०सा०—3) के कथन उपरोक्त संबंध में विरोधाभास रहित हैं एवं संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में अखण्डित है।
- 13:— राजेंन्द्र (अ०सा0—1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में ही यह कथन दिये हैं कि अभियुक्त ने आते ही उससे कहा था, कि तेरी पत्नी को में रंखूगा और उसके बाद लातघूसों से उसकी मारपीट की थीं तथा प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव पर स्वयं फिरयादी के द्वारा सहमित दी गई कि उसका रामदास से अपनी स्वयं की पत्नी को लेकर विवाद है तथा उसने अपनी पत्नी के विरुद्ध दायर के लिये तलाक में अपनी रामदास का नाम भी लिखवाया है। वीरेंद्र सिंह (अ०सा0—2) एवं देवेन्द्र (अ०सा0—3) ने भी उपरोक्त संबंध में अभियोजन का समर्थन करते हुये फिरयादी के कथनों की पुष्टि की है तथा वीरेन्द्र सिंह (अ०सा0—2) स्वयं के अनुसार अभियुक्त ने घटना के समय आते ही कहा था कि राजेन्द्र की पत्नी को वह रखेंगा। इस साक्षी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव में स्वीकार किया है कि राजेन्द्र सिंह (अ०सा0—1) व अभियुक्त के मध्य विवाद राजेन्द्र की पत्नी को लेकर है तथा स्वयं राजेन्द्र सिंह (अ०सा0—1) के भाई देवेन्द्र (अ०सा0—3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में उक्त विवाद की पुष्टि की है, तथा इस साक्षी का भी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—02 में यह स्पष्ट कहना है कि राजेन्द्र सिंह (अ०सा0—1) की पत्नि के साथ अभियुक्त रामदास के नाजायज संबंध हो गये थे, इसी बात का उनके मध्य विवाद चल रहा है।
- 14:— अतः बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये सुझाव कि राजेन्द्र की पत्नी से अभियुक्त के संबंध को लेकर अभियुक्त व राजेन्द्र के मध्य रंजिश है को फिरयादी सिहत घटना के साक्षी वीरेन्द्र सिंह (अ०सा0—2) व देवेन्द्र (अ०सा0—3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में स्वीकार किया है तथा अभिलेख पर इस आशय की अखिण्डत साक्ष्य भी है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को भी घटना स्थल पर आकर इसी बात पर विवाद किया था और कहा था कि फिरयादी की पत्नी को वह रखेंगा। अतः अभियुक्त के पास घटना घटित करने का पर्याप्त

कारण था, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित होता है।

- 15:— अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि वर्ष 2017 में मेले के समय रात्रि 09:00 बजे जब फरियादी अपने भाई देवेन्द्र (अ0सा0—3) व वीरेन्द्र सिंह (अ0सा0—2) के साथ मेला देखने जा रहा था, तो बायपास से उतरते ही उनहें रामदास वहां मिला था, जिसने पत्नी के विवाद पर से फरियादी राजेन्द्र सिंह (अ0सा0—1) के साथ झगडा व मारपीट की थीं। अभियोजन की ओर से चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर पंकज गुप्ता (अ0सा0—4) के कथन न्यायालय में कराये गये है जिनके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी के शरीर पर कोई चोट के निशान न पाये जाने के संबंध में कथन दिये हैं, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण के दौरान उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी—03 से होती है।
- 16:— निश्चित रूप से चिकित्सीय साक्ष्य से फरियादी के शरीर पर घटना के पश्चात् कोई चोटों के निशान न पाया जाना प्रमाणित होता है, परन्तु फरियादी सहित वीरेंद्र सिंह (अ0सा0—2) व देवेन्द्र (अ0सा0—3) ने इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि अभियुक्त ने मौके पर फरियादी के साथ लातघूसों से मारपीट की है। डॉक्टर पंकज गुप्ता (अ0सा0—4) ने भले ही फरियादी राजेन्द्र सिंह (अ0सा0—1) के शरीर पर चोटों के कोई निशान चिकित्सीय परीक्षण में नहीं पाये हैं, परन्तु उसका कर्तई ही यह अर्थ नहीं है कि फरियादी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। डॉक्टर पंकज गुप्ता (अ0सा0—4) के द्वारा दिया गया अभिमत शरीर के बाह्य परीक्षण के संबंध में हैं, जो इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकता है कि फरियादी राजेन्द्र सिंह (अ0सा0—1) के साथ अभियुक्त ने कोई मारपीट नहीं की।
- 17:— यहां भा.द.वि. की धारा 319 में परिभाषित "उपहित" की परिभाषा का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिसमें शारीरिक पीडा, रोग या अंग शैथिल भी हो उपहित की श्रेणी में आते है। फरियादी राजेन्द्र सिंह (अ0सा0—1), वीरेन्द्र सिंह (अ0सा0—2) व देवेन्द्र (अ0सा0—3) की अखण्डित मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को रात्रि में मेले में फरियादी राजेन्द्र सिंह (अ0सा0—1) के साथ मारपीट की थीं। अतः उक्त मारपीट में फरियादी को हुई मामूली शारीरिक पीडा भी भा0द0वि0 की धारा 319 में परिभाषित उपहित की श्रेणी में आती है और उक्त मारपीट अभियुक्त के द्वारा सआशय की गई इसलिए अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 323 के आरोप की, उसने फरियादी को लातघूसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की प्रमाणित होता है।

विचारणीय प्रश्न कमाक 02, 03 एवं 04 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

18:— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एवं निष्कर्ष एक साथ किया जा रहा है। फरियादी राजेन्द्र सिंह (अ०सा0—01) का अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि अभियुक्त रामदास ने उसे मां—बहन की गाली दी थी, फरियादी राजेन्द्र सिंह का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि अभियुक्त रामदास उसे बायपास के नीचे मेले की तरफ मिला था, तो उसने मां—बहन की गालियां दी थी और कहा था कि ''मादरचोद तेरी मां चोद दूंगा, तेरी पत्नी को मैं ही रखूंगा'' राजेन्द्र सिंह (अ०सा0—01) ने जो उपरोक्त कथन न्यायालय में दिये हैं, इस संबंध में उसके स्वयं के द्वारा की गई, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी—01 व पुलिस को दिये

गये कथन प्रदर्श पी—02 में अभियुक्त के द्वारा उच्चारित किये गये उपरोक्त शब्दों का कोई उल्लेख नहीं है।

- 19:— वीरेन्द्र सिंह (अ0सा0—02) ने अपने मुख्य परीक्षण में इस संबंध में कोई कथन नही दिये है कि वास्तव में अभियुक्त ने घटना दिनांक को फरियादी को क्या गालियां दी थी। यह साक्षी पक्षविरोधी हो जाने के बाद यह अवश्य कहता है कि अभियुक्त ने गंदी—गंदी गालियां दी थी, परन्तु अभियुक्त के द्वारा क्या शब्द उच्चारित किये गये थे व उसे सुनने में उक्त शब्द केसे लेगे थे, इसका कोई उल्लेख इस साक्षी ने अपने कथनों में नहीं किया। देवेन्द्र (अ0सा0—03) का भी अपने सम्पूर्ण न्यायालीन कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को क्या अश्लील शब्द उच्चारित किये। फरियादी राजेन्द्र सिंह (अ0सा0—01) वीरेन्द्र सिंह (अ0सा0—02) व देवेन्द्र (अ0सा0—03) का अपने कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि वास्तव में उन्हें घटना में उच्चारित किन्ही शब्दों से कोई क्षोभ कारित हुआ।
- 20:— मात्र गालियों को उच्चारण किसी भी झगडे में भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध का गठन नहीं करता है, जब तक की यह साबित न कर लिया जाये कि उच्चारित किये गये अश्लील शब्द लोक स्थान या उसके आस—पास उच्चारित किये गये तथा उनके उच्चारण से किसी को कोई क्षोभ कारित हुआ हो। फरियादी ने अभियुक्त के द्वारा दी गई गालिया के संबंध में जो कथन न्यायालय में दिये है, वो प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—01 व पुलिस को दिये गये कथनों से मेल नहीं खाते हैं। वही अन्य साक्षियो ने भी फरियादी के कथनों का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि वास्तव में फरियादी या किसी अन्य को अभियुक्त के द्वारा उच्चारित किन्ही शब्दों से कोई क्षोभ कारित हुआ, जिससे साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 294 के आरोप प्रमाणित नहीं होते है।
- 21:— फरियादी राजेन्द्र सिंह (अ०सा0—01) का कहना है कि अभियुक्त ने घटना कारित करने के बाद उसे धमकी दी थी कि वह यदि रिपोर्ट करने गया, तो वह उसे जान से मार देगा तथा प्रतिपरीक्षण में कण्डिका—03 में फरियादी ने रिपोर्ट अगले दिन करने का कारण स्पष्ट करते हुये व्यक्त किया है कि रात में उसके द्वारा रिपोर्ट इसलिए नहीं की गई, क्योंकि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। वीरेन्द्र (अ०सा0—02) व देवेन्द्र (अ०सा0—03) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट कथन दिये है कि अभियुक्त ने फरियादी को धमकी दी थी, कि यदि रिपोर्ट करने गया, तो वह उसे जान से मार देगा। अभियुक्त ने घटना दिनांक को फरियादी को घटना के बाद इस आशय की धमकी दी थी कि फरियादी यदि रिपोर्ट करने गया, तो वह उसे जान से मार देगा, इस संबंध में फरियादी राजेन्द्र (अ०सा0—01) सिहत वीरेन्द्र (अ०सा0—02) व देवेन्द्र (अ०सा0—03) ने अपने न्यायालीन कथनों में अखण्डित कथन देकर पूरी तरह से अभियोजन का समर्थन किया है तथा उपरोक्त संबंध में फरियादी सिहत किसी भी साक्षी के कथनों में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है।
- 22:— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने रात्रि के समय बायपास से नीचे उतर कर मेला ग्राउण्ड में फरियादी राजेन्द्र (अ०सा०–०1) को उसकी पत्नी को लेकर विवाद किया और उसके साथ मारपीट की तथा साथ ही

रिपोर्ट करने जाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। यह उल्लेखनीय है कि मात्र जान से मारने की धमकी मौखिक रूप से कहना भा.द.वि. की धारा 506बी के तहत् आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में नहीं आता है जब तक उक्त धमकी संत्रास करने के आशय से न दी गई हो तथा जिस व्यक्ति को धमकी दी, उसे वास्तव में उस धमकी से संत्रास कारित हुआ। घटना में धमकी संत्रास कारित करने के आशय दी गई या धमकी जिस व्यक्ति को दी गई, उसे वास्तव में संत्रास कारित हुआ इसके संबंध में सीधे मौखिक साक्ष्य आना सम्भव नहीं होता है, इसका निर्धारण घटना की परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है।

- 23:— वर्तमान प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क लिया गया है कि अभियुक्त अकेला था और फिरयादी तीन लोग थे, इस कारण सें फिरयादी के द्वारा कथित घटना में सत्यता है। यह उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मौके पर अकेला था और बिना किसी हथियार के उसने फिरयादी के साथ अकेले मारपीट की थी। मौके पर उपस्थित शेष दो साक्षी जिसमें स्वयं फिरयादी का भाई देवेन्द्र (अ0सा0—03) है वही वीरेन्द्र (अ0सा0—02) फिरयादी का जीजा है, इन दोनों के द्वारा मौके पर अभियुक्त का प्रतिरोध न करने का स्पष्ट और युक्तियुक्त कारण अपने कथनों में दर्शित किया। वीरेन्द्र (अ0सा0—02) ने स्पष्ट रूप से बताया है कि अभियुक्त ने गोली मारने की धमकी दी थी, क्योंकि वह बच्चे वाला है, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। स्वयं फिरयादी ने भी धमकी के कारण रिपोर्ट घटना दिनांक को ही न करना बताया है, वहीं देवेन्द्र (अ0सा0—03) ने यह स्पष्ट किया है कि घटना के बाद अभियुक्त ने फिरयादी पर गोली चलाई थीं, जिसका खण्डन बचाव पक्ष के द्वारा नहीं किया गया।
- 24:— अतः मौके पर भले ही फरियादी के साथ उसका भाई और जीजा उपस्थित था, परन्तु अभियुक्त के द्वारा इसके बाद भी फरियादी की पत्नी को अपने पास में रखने की धमकी देकर फरियादी के साथ मारपीट करना यह दर्शित करता है कि अभियुक्त के हौसले कितने बुलन्द है कि उसने और लोगों की उपस्थिति की भी परवाह नहीं की, वहीं मौके पर उपस्थित भाई व जीजा के द्वारा कोई प्रतिरोध न करना अभियुक्त का उनके मध्य डर होना स्पष्ट करता है, जिससे यह दर्शित करता है कि घटना दिनांक को फरियादी के द्वारा अभियुक्त के थाने पर रिपोर्ट इसी कारण नहीं की, क्योंकि अभियुक्त के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। अतः अभियुक्त के द्वारा दी गई जान से मारने की धमकी संत्रास कारित करने के आशय से दी गई थी तथा दी गई धमकी से फरियादी को संत्रास कारित हुआ, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से प्रमाणित होता है।
- 25:— किसी भी प्रकरण में दोषसिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करना होता है। अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन भले ही यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है कि घटना में अभियुक्त ने लोक स्थान पर फरियादी को मां—बहन की गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, परन्तु अभियोजन यह युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरफ से सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 07.04.2017 को समय 21:00 बजे से 21:05 बजे स्थान बायपास रोड मेला ग्राउण्ड के पास फरियादी राजेन्द्र को लातघूंसों से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 26:— फलतः अभियुक्त रामदास पुत्र जानकी प्रसाद उर्फ जनक कुशवाह को भा.द.वि. की धारा 294 के आरोप प्रमाणित न होने से उसे को भा.द.वि. की धारा 294 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है। वहीं अभियुक्त रामदास पुत्र जानकी प्रसाद उर्फ जनक कुशवाह को भा.द.वि. की धारा 323, 506बी के आरोप प्रमाणित होने से उसे को भा.द.वि. की धारा 323, 506बी के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 27:—अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 28:—दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्त प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। अभियुक्त के द्वारा फरियादी की पत्नी को लेकर फरियादी के साथ भी मारपीट की घटना व जान से मारने की धमकी देने का अपराध किया गया है, जो यह दर्शित करता है कि अभियुक्त को कानून का कोई भय नहीं हैं तथा उसके द्वारा एक पित को खुले आम उसकी पत्नी को अपने साथ रखने की धमकी देते हुये पित के साथ मारपीट भी की है। अतः प्रकरण में पिरिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये, शिक्षाप्रद दण्ड से दिण्डत किया जाना आवश्यक हैं
- 29:— अतः उपरोक्त परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त रामदास पुत्र जानकी प्रसाद उर्फ जनक कुशवाह को भाठदंठविठ की धारा 323 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में उसे न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500 /— रूपये (पांच रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त रामदास पुत्र जानकी प्रसाद उर्फ जनक कुशवाह को भाठदंठविठ की धारा 506बी के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में उसे 06 माह (छः माह) के सश्रम कारावास एवं 500 /— रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह (एक माह) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।

(9) <u>दांडिक प्रकरण कं-162/2017</u>

30:—अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)